न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर (अजमेर)
पीठासीन अधिकारीः– श्री जसमीतसिंह संधू (आई0ए0एस0)
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 72/2018

1– श्री किशनसिंह वयस्क पुत्र श्री लूम्बसिंह
2– श्री दौलतसिंह वयस्क पुत्र श्री लूम्बसिंह
जाति रावत निवासीयान ग्राम कालिंजर तहसील ब्यावर जिला–अजमेर
——————प्रार्थीगण

ब ना म

1– श्री बाबूसिंह वयस्क पुत्र श्री लूम्बसिंह
2– श्री गणपतसिंह वयस्क पुत्र श्री लूम्बसिंह
जाति रावत निवासीयान ग्राम कालिजर तहसील ब्यावर जिला–अजमेर
3– राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, ब्यावर
4– श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, तहसील कार्यालय, ब्यावर
5– राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर
——————अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांकः– 02-09-2019

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किये है कि मौजा राजियावास पटवार क्षैत्र राजियावास तहसील ब्यावर में स्थित खसरा नंबर 942 रकबा 02–10–00, 943 रकबा 01–06–00 उक्त भूमिया प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की आराजियात चली आ रही है, तथा उपरोक्त राजस्व अभिलेखो में भी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम अंकित चली आ रही है, प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्से चला आ रहा है, और उक्त हिस्सो के अनुसार संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त भूमियो का आज दिवस तक संयुक्त ही चली आ रही है, जिसका आज दिवस तक कोई बॉई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन नही हो रखा है। जिसकी वजह से आये दिन प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य विवाद होते रहते है। इस कारण प्रार्थीगण उक्त आराजियात को संयुक्त नही रखना चाहते है। प्रार्थीगण द्वारा समय समय पर अपने हक हिस्से की आराजियात में काफी समय, श्रम एंव धन व्यय कर उक्त आराजियात में उच्च किस्म के खाद बिज डालकर उन्हें समतल कराकर काश्त योग्य बनाया तथा उसमें काफी विकास एंव विस्तार किया है। जिसकी वजह से उक्त आराजियात काफी उन्नत, उपजाऊ एंव कीमती हो चुकी है। तथा उक्त आराजियात और अधिक कीमती हो चुकी है। उक्त आराजीयात की कीमतो में हो रही दिनो दिन बेशुमार वृद्धि की वजह से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की नियत खराब हो चुकी है। तथा वे अब येनकेन प्रकारेण प्रार्थीगण को उपरोक्त आराजियात से बेदखल करने उस पर कब्जा करने अन्य को बेचान करके अन्य को काबिज करवाने उसमें तोडफोडएंव निर्माण करते हुये उसका स्वरूप बदलने पर आमादा है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रार्थीगण के हक हिस्से में आने कब्जा करने बिना बंटवारा करवाये किसी हिस्से को बेचान या हस्तांतरित कराने तथा अन्य को काबिज करवाने करने का अधिकार नही है।उसके बावजूद भी अपने कृत्यो से बाज

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

नही आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 दिनांक 8.8.2018 एंव 13.8.2018 को वादग्रस्त आराजियात पर आये और प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करते हुये उन्हे जबरदस्ती बाहर निकालने तथा अकेले सम्पूर्ण आराजियात पर कब्जा करने की कोशिश अप्रार्थी संख्या 1 व 2 लगें। किन्तु प्रार्थीगण व उनके परिवारजन के भारी विरोध के कारण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपने मंसूबो में सफल नही हो सके। अतः अप्रार्थीगण के कृत्यो को देखते हुये इस प्रार्थना पत्र की आवश्यकता उत्पन्न हुई। तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो के आधार पर प्रथम दृष्टिया केस व सहुलियत का सन्तुलन एंव अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के हक में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण तक पांबद किया जावे कि वादग्रस्त भूमियो को रहन, बय, बेचान हस्तांतरण आदि नही करे तथा प्रार्थीगण के चले आ रहे कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित नही करे। तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को पांबद किया जावे कि वे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा किये गये मुख्तियारनाम के आधार पर किये गये बेचाननामे के विषय में पंजीयन व नामान्तकरण संबंधित कार्यवाही नही करे ना करावे। खर्चा प्रार्थना पर दिलाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यो को नाकरते हुये जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया । अप्रार्थीगण दिनांक 24.12.1977 तत्कालीन खातेदार सेठ भैरूलाल पुत्र जसवन्तराज जी से खरीद कर काबिज काश्त चले आ रहे है, तत्पश्चात आपसी सहमति से बाहमी बंटवारा किया गया उसी रोज एक इकरारनामा दिनांक 2.3.1987 तहरीर व निष्पादित किया जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में उक्त इकरारनामा मे वर्णित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को बाहमी बंटवारे में देने का इकरार कर उसी रोज मौके पर काबिज करवा दिया तब से अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 2 की पूर्ण व पर्याप्त जानाकरी में बिना किसी उज्र ऐतराज के मौके पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। इस कारण वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 का कत्तई भी हिस्सा निहित नही है। इस कारण उक्त वाद अप्रार्थीगण पर निष्प्रभावी है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के मध्य विवाद होने वाली बात गलत असत्य है। इस आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 राजस्व रेकार्ड खातेदार काश्तकार के रूप में खातेदार दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी है। उक्त कारण से प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त भूमियों में किसी प्रकार का हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थीगण द्वारा मौके पर कोई श्रम व खाद बीज धन लगाकर कोई उन्नत नही किया। बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में आने से अप्रार्थी संख्या 1 ने ही लाखो रूपये खर्च किये है। अप्रार्थी संख्या 1ने काफी पैसे खर्च कर गहरा करवाकर पानी के स्त्रोत कायम किया है व बिना अप्रार्थी संख्या 1 ग्रामीण तबके काश्तकार है, जिसकी आजिविका खेती पर ही निर्भर खेती करके ही अपने परिवार का लालन पोषण करता चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक 8.8.2018 व दिनांक 13.8.2018 को या अन्य दिवस को कोई लडाई झगडा व वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात को कही पर भी बेचान करने पर आमादा नही है। अप्रार्थी संख्या 1 का दि.

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

02.03.1987 से कब्जा होने की जानकारी प्रार्थीगण को चली आ रही है। प्रार्थीगण किसी भी परिस्थितियो में वर्णितानुसार कानूनन बंटवारा करवाने के हक अधिकार नही है। उक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थीगण के हक में कोई प्रथम दृष्टिया व सहुलियत का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू बनना नही पाया जाता है। जबकि जवावदावा एंव काउन्टर क्लेम में वर्णित तथ्यो के आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के हकमें प्रथम दृष्टिया केस व सहुलियत का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू बनना पाया जाता है। अतः जवाब एंव काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया है, कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे। तथा वादग्रस्तभूमियो में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त भूमियो से बेदखल नही करे तथा उनके कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न करे ना करावे। तथा काउन्टर क्लेम का खर्चा दिलाया जावे।

प्रकरण में बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज करने तथा काउन्टर क्लेम स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है, कि विवादित भूमियां अविभाजित है, जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का 1/4–1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार है, तथा संयुक्त रूप से खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। दस्तावेज के अनुसार जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के अनुसार विवादित भूमियां खसरा नंबर 942, 943 में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हिस्से दर्ज होने पाये। तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथनो के अनुसार दस्तावेज इकरारनामा दिनांक 2.3.1987 प्रस्तुत किया है, तथा बेचाननामा दिनांक 24.12.1977 का प्रस्तुत किया जाना पाया गया है। किन्तु प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार कि विवादित भूमियों प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम संयुक्त खातेदारी में हिस्सो के अनुसार दर्ज होना पाया जाता है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात इकरारनामा व बेचाननामा के विषय में दोनो पक्षो की साक्ष्य आने के बाद यह तय किया जा सकता है, कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के बीच में बाहमी बंटवारा हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के अभिवचनो के अनुसार व मोखिक दस्तावेजी के अनुसार दोनो पक्षो के हक में प्रथम दृष्टिया केस व सहुलियत का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू बनना पाया जाता है।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व जवाब काउन्टर प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है, कि विवादित भूमियो की मौके की यथावत स्थिति बनाये रखेंगे तथा एक दूसरे के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

अतः आदेश दिनांक 02-09-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

(जसमीत सिंह संधू)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.12.10 14:20:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: